इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 **द्वारा प्रमाणित)**

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड संख्या: 12 अंक संख्या: 12 जुलाई, 2020 पृष्ठों की संख्या 18

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबंधित नीतियाँ ---------- 4
बैंकिंग जगत की घटनाएँ----------6
बीमा ----------6
विदेशी मुद्रा ----------7
शब्दावली----------8
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ---------- 9
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------9
संस्थान समाचार ----------10
नयी पहलकदमी ----------15
बाजार की खबरें ----------16

''इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।''

मुख्य घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजार की मूलभूत सुविधाओं (FMIs) और खुदरा भुगतान प्रणालियों के संबंध में अन्वेक्षा/निगरानी ढांचा जारी किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके द्वारा विनियमित वित्तीय बाजार की मूलभूत सुविधाओं (FMIs) का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय बाजार की मूलभूत सुविधाओं के सिद्धान्त अंगीकृत किए थे। उस समय प्रलेख का विषय-क्षेत्र कार्यकलापों तथा वित्तीय बाजार को पर्यवेक्षित करने हेतु तत्समय प्रचलित साधनो के उपयोग पर निगरानी रखने तक सीमित था। तत्पश्चात वित्तीय बाजार की मूलभूत सुविधाओं की बढ़ती भूमिका एवं उनके बढ़ते महत्व के परिणामस्वरूप और उसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणालियों के विजन 2019-21 में की गई प्रतिबद्धता कॉ ध्यान में रखते हुये उक्त ढांचे कॉ संशोधित कर दिया गया है, ताकि भुगतान प्रणाली से सम्बद्ध संस्थाओं/कंपनियों के लिए पर्यवेक्षी ढांचे तथा वित्तीय बाजार की मूलभूत सुविधाओं और खुदरा भुगतान प्रणालियों (RPSs) के संबंध में उद्भूत विचारों कॉ उनमें शामिल किया जा सके।

बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा डिजिटल उधारदाई प्लेटफार्म पर प्राप्त किए गए ऋण : उचित आचरण संहिता और बाह्यस्रोतीकरण दिशानिर्देशों का पालन

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों कॉ यह सूचित किया है कि खुदरा व्यक्तियों, छोटे व्यापारियों और अन्य उधारकर्ताओं को अडचन-रहित ऋण

प्रदान करते समय यह आवश्यक है कि उन डिजिटल प्लेटफार्मों के नाम प्रकट किए जाएँ जिनके साथ वे संलग्न हैं। यह सुनिश्चित किया जाना है कि बाद में ग्राहकों को परेशान न किया जाए। बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ या तो इन प्लेटफार्मों के प्रवर्तक हैं - जिनमें से कुछेक तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास केवल डिजिटल ऋणदाताओं के रूप में पंजीकृत हैं - या फिर वित्तीय संस्थाओं ने उक्त प्लेटफार्म का उपयोग किसी अन्य पक्ष कॉ करने दिया है। यद्यपि शीर्ष बैंक ऋण मध्यस्थीकरण में डिजिटल सुपुर्दगी को एक स्वागतयोग्य घटना मानता है, तथापि बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लेनदेनो में पारदर्शिता के अभाव और वित्तीय सेवाओं के बाह्यश्रोतीकरण से संबन्धित दिशानिर्देशों एवं उचित आचरण संहिता आदि के उल्लंघन से चिंता पैदा होती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह चेतावनी दी है कि "बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा किसी भी कार्यकलाप के बाह्यश्रोतीकरण से उनकी बाध्यताओं/दायित्वों में कोई कमी नहीं आती। विनियामक अनुदेशों के पालन का दायित्व केवल उन्हीं पर निर्भर करता है।" फलत: भारतीय रिजर्व बैंक ने यह अनिवार्य कर दिया है कि बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उनकी वेबसाइटों पर डिजिटल प्लेटफार्मों के अन्य पक्ष सेवा-प्रदाताओं के नामों का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। ग्राहकों को सुसंगत आंकड़ों के साथ ऋण करार की एक प्रति तथा परिवाद निवारण व्यवस्था/तंत्र के बारे में जानकारी भी दी जानी चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सीमांत स्थायी सुविधा के तहत वर्धित/बढ़ी उधार सीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई

कोविड-19 वैश्विक महामारी द्वारा सृजित आर्थिक कठिनाइयों की पृष्ठभूमि में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) के तहत दी जाने वाली वर्धित/बढ़ी उधार सीमा 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दी है। इसके पूर्व यह छूट 30 जून, 2020 तक प्रदान की गई थी। बैंको को उनकी चलनिधि की कमी पूरा करने में सहायता करने के लिए किये गये इस अस्थायी उपाय से 27 मार्च, 2020 से अनुसूचित बैंकों की एक-दिवसीय उधार-सीमा उनकी निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) की 2% से बढ़कर 3% हो गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) के न्यूनतम दैनिक शेष

के अनुरक्षण पर छूट को भी तीन माह से अधिक समय के लिए 25 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दिया है। इसके पूर्व कर्मचारियों द्वारा बरती जा रही सामाजिक दूरी (social distancing) और उसके परिणामस्वरूप रिपोर्टिंग संबंधी आवश्यकताओं पर पड़ने वाले दबाव को देखते हुये बैंकों द्वारा आरक्षित नकदी निधि अनुपात के न्यूनतम दैनिक शेष का अनुरक्षण निर्धारित आरक्षित नकदी निधि अनुपात के 90 % से घटाकर 26 जून, 2020 तक 80% कर दिया गया था।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने चुनिन्दा भुगतान प्रणालियों से संबन्धित दैनिक आकडे प्रकाशित करना आरंभ किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (NEFT), तत्काल सकल भुगतान/निपटान प्रणाली (RTGS), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) (एईपीएस, (AEPS) सीटीएस (CTS), आईएमपीएस, नाच (NACH) और यूपीआई) जैसी विविध भुगतान प्रणालियों के माध्यम से किए जाने वाले भुगतानों के परिमाण और मूल्य के संबंध में दैनिक आंकड़ों को प्रकाशित करना आरंभ कर दिया है। एटीएमों से नकदी आहरणों तथा कार्डों के जरिये किए जाने वाले लेनदेनो से संबन्धित आंकड़े भी दैनिक आधार पर प्रकाशित किए जा रहे हैं। भुगतान प्रणाली से संबन्धित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी बुलेटिन में मासिक आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं। इस पहलकदमी से बेहतर अनुसंधान सुगम होने तथा भुगतान प्रणालियों के नवोन्मेष में योगदान प्राप्त होने की भी आशा की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुपालन की समय-सीमा बढ़ाई

विद्यमान कोविड-19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली से संबन्धित विविध आवश्यकताओं के अनुपालन की समय-सीमाएं बढ़ा दी हैं। उदाहरण के तौर पर कार्ड लेनदेनो की सुरक्षा बढ़ाने से संबन्धित प्रावधानों के कार्यान्वयन की समय-सीमा पूर्ववर्ती 16 जून, 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2020 कर

दी गई है। पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिख़तों (PPIMD) के जारी किए जाने और उनके परिचालन, उन पर की जाने वाली कार्रवाई में लगने वाले समय (TAT) के समरूपण (harmonisation), प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते हुये विफल लेनदेनों के लिए ग्राहक को मुआवजे के भुगतान तथा भुगतान समाहारकों (aggregators) एवं भुगतान प्रवेश द्वारों (gate ways) के विनियमन के संबंध में दिशानिर्देशों की समय-सीमाएं भी बढ़ा दी गई हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा भुगतान विधियों की निगरानी का समय बढ़ाया; ढांचे को आशोधित किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजार की मूलभूत सुविधाओं (FMIs) और खुदरा भुगतान प्रणालियों (RPSs) के लिए पर्यवेक्षी ढांचे को संशोधित कर दिया है। उसने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (NEFT) को वित्तीय बाजार की मूलभूत सुविधा के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसके द्वारा संस्था/कंपनी पर निगरानी बढ़ा दिया है। इसके पहले केवल तत्काल सकल भुगतान/निपटान प्रणाली (RTGS), प्रतिभूति निपटान प्रणाली (SSS) भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL) और तयशुदा लेनदेन प्रणाली -आदेश मिलान (NDS-OM) वित्तीय बाजार की मूलभूत सुविधा के अंग हुआ करते थे।

इन आशोधनों को ध्यान में रखते हुये अब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को अनुपालन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को वार्षिक आधार पर अपना स्व-मूल्यांकन प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त इसे द्विवार्षिक प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग (DPSS) अथवा किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन के अधीन भी लाया जाएगा। ये मूल्यांकन राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण के मामले में भी आवधिक आधार पर किए जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को एक सर्वांगी महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली अर्थात (SWIPS) भी अभिहित किया गया है।

खुदरा भुगतान प्रणालियों (कार्ड भुगतान नेटवर्क जैसी) के मामले में भारत-विशिष्ट परिचालनों के संबंध में प्रणाली की लेखा-परीक्षा रिपोर्टों से संबन्धित विवरण भारतीय रिजर्व बैंक को वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किए जाने होंगे। इसके अलावा भारतीय रिजर्व

बैंक को भारत-विशिष्ट परिचालनों के मामले में प्रत्येक तिमाही और सम्पूर्ण वर्ष के लिए वित्तीय विवरण भी प्रस्तुत किए जाने होंगे।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक 500 करोड़ रुपए की भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि की शुरुआत करेगा

भारतीय रिजर्व बैंक ने टियर-3 से लेकर टियर 6 तक के शहरों और उनके साथ ही उत्तर-पूर्वी राज्यों में भौतिक और डिजिटल दोनों विधियों वाले विक्री केन्द्रों (POS) के अभिनियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए मूलभूत सुविधा विकसित करने हेतु 500 करोड़ रुपए की भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि के मानदंड घोषित कर दिये हैं। भारत में भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र बैंक खातों, मोबाइल फोनों, कार्डों आदि जैसे व्यापक श्रेणी वाले विकल्प उपलब्ध कराने की दृष्टि से विकसित हो गया है। भुगतान प्रणालियों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में, अधिकाधिक रूप में अल्प सेवा प्राप्त क्षेत्रो में मूलभूत सुविधा की स्वीकृति को प्रोत्साहन देना आवश्यक है।

भारतीय रिजर्व बैंक भुगतान की मूलभूत सुविधा विकास निधि (PIDF) में प्रारम्भिक तौर पर 250 करोड़ रुपए का अंशदान करेगा जिसमें शेष अंशदान कार्ड जारीकर्ता बैंकों तथा देश में कार्ड परिचालन करने वाले नेटवर्कों से प्राप्त होगा। बैंकों और कार्ड नेटवर्कों द्वारा परिचालनात्मक खर्चों को पूरा करने हेतु आवर्ती अंशदान भी किए जाएंगे जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, यदि आवश्यक हुआ, तो वार्षिक कमियों को पूरा करने हेतु अंशदान करेगा। भुगतान की मूलभूत सुविधा विकास निधि एक परामर्शी परिषद के माध्यम से अभिशासित होगी तथा इसका प्रबंधन एवं नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा।

बीमा

इर्डाई ने क्षतिपूर्ति स्वास्थ्य उत्पादों के मानकीकरण हेतु दिशानिर्देश जारी किए

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने क्षतिपूर्ति पर आधारित स्वास्थ्य उत्पादों में सामान्य शर्तों एवं खंडों को मानकीकृत किए जाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं। उक्त दिशानिर्देशों का ध्येय उपभोक्ताओं के मामले में क्रय अनुभव को सरल बनाना तथा सम्पूर्ण उद्योग में एकरूपता को इस विधि से सुनिश्चित करना है कि बीमाकर्ता इनमें विनियामक द्वारा निर्धारित शब्दावली ही शामिल करें। ये दिशानिर्देश बीमाकर्ताओं द्वारा 1 अक्तूबर, 2020 से जमा कराये जाने वाले सभी नए उत्पादों पर लागू होंगे। मौजूदा स्वास्थ्य उत्पादों को 1 अप्रैल, 2021 तक इन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

इर्डाई ने स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को अल्पावधि लाभ पर आधारित कोविड पालिसियाँ बेचने की अनुमति दी

विद्यमान कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान लोगों की एक विशाल संख्या को बीमा संरक्षण उपलब्ध कराने के एक अभियान में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने सभी बीमाकर्ताओं - जीवन और सामान्य को विशिष्ट रूप से कोविड-19 के लिए अल्प अवधि वाली स्वास्थ्य बीमा पालिसियाँ उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी है। अल्प अवधि वाली स्वास्थ्य पालिसी से आशय है कोई भी ऐसी स्वास्थ्य बीमा संविदा जो 12 माह से कम की पालिसी अवधि के लिए जारी की गई हो। पालिसी की मीयाद 12 माह निर्धारित किए जाने की स्थिति में वह अल्प अवधि वाली नहीं रह जाएगी। अल्प अवधि वाली पालिसियाँ न्यूनतम 3 माह की अवधि से लेकर अधिकतम ग्यारह माह की अवधि के लिए जारी की जा सकती हैं। तीन माह और ग्यारह माह के बीच में पालिसी की अवधि पूरे हुये महीनों के गुणज में होगी। अल्प अवधि वाली कोविड स्वास्थ्य पालिसियाँ वैयक्तिक अथवा सामूहिक उत्पादों के रूप में उपलब्ध कराई जा सकती हैं। जब तक अगले आदेश नहीं जारी किए जाते, ये दिशानिर्देश ये दिशानिर्देश 31 मार्च, 2021 तक वैध रहेंगे।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	26 जून, 2020 के दिन बिलियन रुपए	26 जून, 2020 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	3834323	506838
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	3537579	467603
(ख) सोना	253609	33523
(ग) विशेष आहरण अधिकार	10926	1,444
(घ) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	32209	4267

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

जुलाई, 2020 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.26700	0.23200	0.24000	0.26500	0.32900
जीबीपी	0.14160	0.1813	0.1848	0.2022	0.2245
यूरो	-0.34000	-0.370	-0.380	-0.376	-0.349
जापानी येन	-0.00130	-0.008	-0.013	-0.010	0.004
कनाडाई डालर	0.84000	0.577	0.633	0.703	0.762
आस्ट्रेलियाई डालर	0.16500	0.201	0.248	0.371	0.449
स्विस फ्रैंक	-0.60500	-0.630	-0.610	-0.580	-0.542
डैनिश क्रोन	-0.09740	-0.1318	-0.1423	-0.1436	-0.1153
न्यूजीलैंड डालर	0.26300	0.233	0.250	0.300	0.370
स्वीडिश क्रोन	0.01900	0.008	0.022	0.050	0.085
सिंगापुर डालर	0.25500	0.308	0.370	0.455	0.523
हांगकांग डालर	0.81000	0.770	0.770	0.800	0.840
म्यामार	2.100	2.110	2.210	2.310	2.310

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

वित्तीय बाजार की मूलभूत सुविधाएं (FMIs)

पिछले कतिपय वर्षों में भुगतान और बाजार की सुविधाओं से संबंधित समिति (CPMI) अर्थात भुगतान एवं निपटान पर अब तक की समिति (CPSS) तथा प्रतिभूति आयोग के अंतर्राष्ट्रीय सगठन (IOSCO) ने सर्वांगी महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों (SIPs), केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपागारों (CSDs), प्रतिभूति निपटान प्रणालियों (SSSs), केंद्रीय प्रतिपक्षों (CCPs) और व्यापारिक भंडारों/रिपोजिटरियों (TRs) के लिए अंतर्राष्ट्रीय जोखिम प्रबंधन मानक निर्धारित किए हैं। इन्हें सामूहिक रूप से वित्तीय बाजार की मूलभूत सुविधाएं (FMIs) कहा गया है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

वायदा दर

मुद्राओं का वह विनिमय जो हाजिर तिथि की अवधि के पश्चात किया जाता है उसे वायदा दर कहा जाता है। यह किसी ऐसे लेनदेन की निपटान कीमत होती है, जो भविष्य में एक पूर्व-निर्धारित तिथि तक सम्पन्न नहीं होगा; यह एक आशावादी (forward looking) कीमत होती है । हाजिर दर सामान्यतया वायदा दर के बारे में वार्तालाप/सौदेबाजी आरंभ करने का एक प्रारम्भिक बिन्दु होती है। सामान्यत: वायदा दरें वायदे की/आगे वाली अवधि के लिए प्रीमियम/ बट्टे का संकेत करते हुये अभिव्यक्त की जाती हैं। इनकी गणना हाजिर दर x (1+ विदेशी ब्याज की दर / (1 + घरेलू ब्याज की दर) के रूप में की जाती है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जुलाई 2020 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थान
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	10 से 12 जुलाई, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित खजाना व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	17 से 19 जुलाई, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित

प्रमाणित लेखांकन एवं लेखा-परीक्षा व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	24 से 26 जुलाई, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित

संस्थान समाचार

परोक्ष रूप से निरीक्षित (Remote proctored) परीक्षाएँ

संस्थान ने परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ आरंभ की हैं। परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएं परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को अपने घरों में बैठकर परीक्षाओं मे शामिल होने के साथ ही अपने ज्ञान के आधार को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करती हैं। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :

- **निम्नलिखित तीन नामों वाली प्रमाणपत्र परीक्षाओं का परोक्ष रूप से निरीक्षण : धन-शोधन निवारण/अपने ग्राहक को जानिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा साइबर अपराधों की रोकथाम एवं धोखाधड़ी प्रबंधन।**
- **परीक्षा दूसरे और चौथे शनिवारों एवं रविवारों को आयोजित की जाएगी।**
- **प्रत्येक प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 60% होगा।**
- **तीनों विषयों के लिए परीक्षाएँ भौतिक केन्द्रों पर नहीं आयोजित की जाएंगी।**
- **परीक्षा शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा।**
- **परोक्ष निरीक्षण स्वत: निरीक्षण और भौतिक परोक्ष निरीक्षण प्रक्रियाओं के मिले-जुले रूप वाला होगा।**

तीन विषयों के लिए परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएं 21, 27 एवं 28 जून, 2020 तथा 5 जुलाई, 2020 को आयोजित की गई थीं। जुलाई 2020 माह में परीक्षाओं की पाँच और तिथियाँ होंगी। परीक्षाओं की इस विधि के लिए महत्वपूर्ण नियम और बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न संस्थान की वेबसाइट पर डाले गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें :

http ://// www.iibf.org.in/documents/pdf/Rules%**20**and%20regulation%20of%20RP%20exam-20200525.pdf

9वें उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत अगस्त, 2020 से

संस्थान को अगस्त, 2020 से प्रारम्भ होने वाले 9वें उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (AMP) की शुरुआत किए जाने की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम बैंकिंग/वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों/कार्यपालकों के लिए एक प्रबंधन पाठ्यक्रम है। यह बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्रों से संबन्धित लगभग 8 माह का एक ऐसा व्यापक प्रबंधन पाठ्यक्रम है जिसमें संसाधन संग्रहण, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, ऋण प्रबंधन एवं निगरानी, खजाना प्रबंधन, व्यवसाय/कारबार विश्लेषण, एकीकृत जोखिम प्रबंधन आदि पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुये तथा समय के अनुरूप चलने के लिए अगस्त 2020 से प्रारम्भ होने वाले उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम का संचालन संकर विधि से किया जाएगा। इस माडेल में जहां व्याख्यान सत्रों का संचालन प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा (VCRT) वाली विधि से किया जाएगा, वहीं इसमें दो अनिवार्य निमज्जन (immersion) कार्यक्रम होंगे, जिनमें से एक आईआईएम कोलकाता में और दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के मुंबई स्थित कारपोरेट सेंटर में आयोजित होगा। इसप्रकार, देश के किसी भी स्थान में रहने वाले अभ्यर्थी अपने घरों में बैठे-बैठे सप्ताहांत में इस कार्यक्रम में शामिल होने में समर्थ होंगे।

स्थानों की संख्या 35 तक ही सीमित है तथा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2020 है। अधिक विवरण के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर संपर्क करें :

http://www.iibf.org.in/iib.admanagementcourse.asp.

लाकडाउन अवधि के दौरान संस्थान द्वारा विशेष पहलकदमी

लाकडाउन को देखते हुये संस्थान 17 मई, 2020 तक भौतिक रूप से बंद है। तथापि, इसके कर्मचारियों ने घर से काम करना जारी रखा है तथा वे यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण गतिविधियां जारी रहें। संस्थान ने अपनी व्यवसाय निरंतरता योजना (BCP) लागू कर रखी है। लगभग 10,000 प्रमाणपत्र डिजिटल विधि से हस्ताक्षरित किए और भेजे गए हैं, उसके सभी प्रकाशन आदि डिजिटल विधि से जारी किए जा रहे हैं।

संस्थान ने बैंकिंग एवं वित्त व्यावसायिकों के लिए कुछेक विशेष आनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम चलाने की भी पहल की है। निम्नलिखित सुविधाएं तीन माह के लिए लागत-रहित उपलब्ध कराई गई है:

- जेएआईआईबी (3 विषयों), सीएआईआईबी (2 विषयों), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा कारबार संपर्कियों के लिए वीडियो व्याख्यान।
- जेएआईआईबी (3 विषयों), सीएआईआईबी (2 विषयों) और ऋण प्रबंधन के लिए ई-शिक्षण।

जहां सभी विषयों के लिए वीडियो व्याख्यान संस्थान के यू ट्यूब पृष्ठ पर पहले से ही उपलब्ध हैं, वहीं ई-शिक्षण की सुविधा 31 जुलाई, 2020 को समाप्त होने वाले 3 माह के लिए उन्हीं लोगों को उपलब्ध होगी, जो पंजीकृत हैं।

संस्थान ने कुछेक प्रकार के जोखिमों और बासेल ई दिशानिर्देशों, मूल व्युत्पन्नी (derivative) उत्पादों, डिजिटल प्रौद्योगिकियों में नयी घटनाओं और भुगतान प्रणालियों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वित्तीयन जैसे समसामयिक विषयों पर कुछेक आनलाइन सत्रों का आयोजन भी किया है।

संस्थान को उसके द्वारा की गई उपर्युक्त विशेष पहलकदमियों में काफी अच्छी संख्या में पंजीकरण एवं सहभागिता परिलक्षित हुई है। अधिक विवरण के लिए कृपया www.iibf.org.in देखें।

बैंक क्वेस्ट विश्वविद्याल अनुदान आयोग की जर्नलों की केयर सूची में शामिल

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के तिमाही जर्नल बैंक क्वेस्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के समूह बी वाले जर्नलों की केयर सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय
(SPPU) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – शैक्षिक एवं शोध नीति-शास्त्र संकाय (UGC- Consortium for academic and Research Ethics) सृजित करने हेतु प्रकाशन

नीति-शास्त्र केंद्र (CPE), में जर्नलों के वि0श्लेषण के लिए एक कक्ष की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना के अनुसार सभी शैक्षिक प्रयोजनों के लिए केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केयर सूची में समाविष्ट जर्नलों के शोध प्रकाशनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

आत्म-समगामी ई-शिक्षण (SPeL) पाठ्यक्रम

संस्थान को अपने दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों-यथा डिजिटल बैंकिंग और बैंकिंग में नैतिकता के लिए आत्म-समगामी (self-paced) ई-शिक्षण पाठ्यक्रमों की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस आत्म-समगामी ई-शिक्षण का उद्देश्य बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्रों में नियोजित व्यावसायिकों को एक अधिक सहायक प्रशिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। आत्म-समगामी ई-शिक्षण विधि में अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु पंजीकरण कराने, स्वयम अपनी गति से सीखने और अंत में स्वयम अपने स्थान से परीक्षा में शामिल होने की सुविधा प्राप्त होगी। उक्त दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आनलाइन पंजीकरण 9 अप्रैल, 2019 से प्रारम्भ हो गए हैं। अधिक विवरण के लिए कृपया लिंक http://www.iibf.org.in/documents/SPeLnotice.pdf देखें।

कारबार संपर्कियों का अनिवार्य प्रमाणन

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और भुगतान बैंकों दोनों के कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स को एकमात्र प्रमाणन एजेंसी के रूप में अभिज्ञात किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उक्त परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम संशोधित कर दिया गया है। संस्थान ने कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए सीएसआर -ई- अभिशासन (CSR-e- Governance) के साथ गठजोड़ भी कर रखा है।

बैंकों में क्षमता निर्माण

संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात परिचालन के चार मुख्य क्षेत्रों, यथा खजाना प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, लेखांकन और ऋण प्रबंधन में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। ये

पाठ्यक्रम आनलाइन परीक्षा के साथ प्रकृति की दृष्टि से मिश्रित हैं जिसके बाद उनमें ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिन्होंने आनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ को संबोधित तथा प्रति इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस को पृष्ठांकित दिनांक 31 मई, 2017 के अपने पत्र के तहत यह कहा है कि भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ऐसे सभी बैंक कर्मचारियों, जो खजाना परिचालन सहित विदेशी मुद्रा परिचालन के क्षेत्र में कार्यरत है या कार्य करने के इच्छुक हैं, के लिए एक अनिवार्य प्रमाणन होगा। कृपया परीक्षा हेतु पंजीकरण और अधिक विवरण के लिए वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में समाधान

संस्थान ने प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा वाली विधि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एक साफ्टवेयर अभिगृहीत किया है। यह साफ्टवेयर गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संस्थान को प्रशिक्षार्थियों की काफी बड़ी संख्या तक प्रशिक्षण सामग्री प्रसारित करने में समर्थ बनाएगा। वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण भी आरंभ कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

परीक्षाओं के लिए छद्म जांच सुविधा

संस्थान अपने मुख्य पाठ्यक्रमों यथा जेएआईआईबी और सीएआईआईबी के अलावा अपने तीन विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमों यथा प्रमाणित खजाना व्यावसायिक, प्रमाणित ऋण व्यावसायिक और वित्तीय सेवाओं में जोखिम के लिए छद्म जांच सुविधा प्रदान करता है। उक्त छद्म जांच में कोई भी बैंक कर्मचारी शामिल हो सकता है।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुयें

हमारे तिमाही जर्नल "बैंक क्वेस्ट" के आगामी अंकों के लिए विषय-वस्तुयें हैं :

- **जुलाई-सितंबर, 2020 - नान बैंकिंग फाइनैन्सियल कंपनीज़, सिस्टेमिक रिस्क ऐंड इंटरकनेक्टेडनेस अमंग फाइनैन्सियल इन्स्टीट्यूशन्स**

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा
जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) **संस्थान द्वारा फरवरी, 2020 से जुलाई, 2020 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में** 31 **दिसम्बर, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।**

(ii) **संस्थान द्वारा अगस्त, 2020 से जनवरी, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में** 30 **जून, 2020 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।**

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या : 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

5.1
4.9
4**.7**
4**.**5
4**.3**
4.1
3.9
3.7
3.5

जनवरी, 2020, फरवरी, 2020, मार्च, 2020, अप्रैल, 2020, **मई, 2020, जून, 2020**
स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूजलेटर जून, 2020

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

100
95
90
85
80 **शृंखला 1**
75 **शृंखला 2**
70 **शृंखला 3**
65 **शृंखला 4**
60

जनवरी, 2020, फरवरी, 2020, मार्च, 2020, अप्रैल, 2020, मई, 2020, जून, 2020
स्रोत : एफबीआईएल

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

8.9
8.4
7.9
7.4

6.9
6.4
5.9

दिसम्बर, 2019, जनवरी, 2020, फरवरी, 2020, मार्च, 2020, अप्रैल, 2020, मई, 2020
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जून, 2020

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

42000.00
37000.00
32000.00
27000.00

दिसंबर, 2019, जनवरी, 2020, फरवरी, 2020, मार्च, 2020, अप्रैल, 2020,मई, 2020
स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE)

समग्र जमा वृद्धि %

13
11
9
7

दिसंबर, 2019, जनवरी, 2020, फरवरी, 2020, मार्च, 2020, अप्रैल, 2020,मई, 2020
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम जून, 2020

डा. जे. एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डा. जे. एन. मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डा. जे. एन. मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070

टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 **फैक्स** : **91-22-2503 7332**
तार : INSTIEXAM **ई-मेल** : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विजन जुलाई, 2020